यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरकाशी** के माह 12/2015 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार तथा अनुज कुमार सिंघल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 04-10-2018 से 08-10-2018. तक श्री बी॰ डी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर॰ के॰ जोगी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा महेश चंद्र, पर्यवेक्षक एवं विजय पाल सिंह नेगी, लेखापरीक्षक के द्वारा दिनांक 05-12-2015 से 09-12-2015 तक श्री ए॰ सी॰ कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था जिसमें माह 06/2005 से 11/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2015 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरकाशी का मुख्य कार्यकलाप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान का वितरण आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं। जनपद उत्तरकाशी के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	शून्य	शून्य	185.33	179.07	शून्य	शून्य	--	6.26
2016-17	शून्य	शून्य	444.22	390.21	शून्य	शून्य	--	54.01
2017-18	शून्य	शून्य	439.75	308.90	शून्य	शून्य	--	130.85
2018-19 (Upto Sep. 2018)	शून्य	शून्य	394.85	104.51	शून्य	शून्य	--	290.34

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+) बचत (-)
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 (Upto Sep. 2018)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत शासन स्तर से प्राप्त किए जाते हैं । विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. प्रमुख सचिव 3. आयुक्त 4. अपर आयुक्त 5. संयुक्त आयुक्त 6. उपायुक्त 7. जिला पूर्ति अधिकारी 8. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी 9. पूर्ति निरीक्षक 10. लेखाकार आदि

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरकाशी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016, 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त बजट का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(iv)लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

दो(ब)

प्रस्तर:01- परिवहन ठेकेदारों के द्वारा खाद्यान का उठान न किया जाना एवं ठेकेदारों से जमा जमानत धनराशि का प्रतिदिन 2 प्रतिशत की दर से धनराशि को जब्त न किया जाना।

निविदा की शर्तों एवं प्रतिबन्ध वर्ष 2018-19 के भण्डारों हेतु खाद्यान/ चीनी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के तहत शर्त संख्या 27 के अनुसार रेलशीर्ष/ बेस गोदाम पर किसी भी अनुबंधित परिवहन ठेकेदार द्वारा समय से पर्याप्त ट्रक उपलब्ध नहीं कराये जाने पर संबन्धित परिवहन ठेकेदार की विभाग के पक्ष में जमा जमानत धनराशि में से प्रतिदिन 2 प्रतिशत की दर अथवा जमानत धनराशि का कोई भाग शासन के पक्ष में जब्त किया जा सकता है।

कार्यालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तरकाशी के भण्डारों हेतु खाद्यान/ चीनी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के तहत वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि मई 2018 में पूर्ति निरीक्षक, बेस डिपो, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि 08 परिवहन ठेकेदारों के द्वारा प्रति दिन माँग के अनुसार ट्रक उपलब्ध नहीं कराये जा रहे ट्रक उपलब्ध न कराये जाने से खाद्यान उठाने में कठिनाई हो रही है। जिस कारण जनपद को आबंटनानुसार खाद्यानों का प्रेषण नहीं हो पा रहा है।

जबकि अनुबन्ध कि शर्त संख्या 27 के अनुसार रेलशीर्ष/ बेस गोदाम पर किसी भी अनुबंधित परिवहन ठेकेदार द्वारा समय से पर्याप्त ट्रक उपलब्ध नहीं कराये जाने पर संबन्धित परिवहन ठेकेदार की विभाग के पक्ष में जमा जमानत धनराशि में से प्रतिदिन 2 प्रतिशत की दर से शासन के पक्ष में जब्त किया जाना था। लेकिन कार्यालय के द्वारा किसी भी परिवहन ठेकेदार से प्रतिदिन 2 प्रतिशत की दर धनराशि की जब्त नहीं की गयी।

उक्त से स्पष्ट था कि खाद्यान उठाने और खाद्यानों का प्रेषण समय पर न किए जाने से आम जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ा एवं जनता खाद्यान समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। 08 परिवहन ठेकेदारों से प्रतिदिन 2 प्रतिशत की दर से धनराशि की जब्त नहीं किए जाने से पूर्ति अधिकारी द्वारा परिवहन ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि माह के अन्त तक आबंटन के अनुसार उठान कर लिया गया था प्रति संलग्न की गयी ।

पूर्ति अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि साक्ष्य के रूप में जो प्रति संलग्न की गयी थी वो वर्ष मई 2017 की थी तथा जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा दिनांक 29.05.2018 के अनुसार सभी परिवहन ठेकेदारों को खाद्यान उठाने के लिए पत्र जारी किया गया था। जिससे स्पष्ट था कि परिवहन ठेकेदारों के द्वारा खाद्यान नहीं उठाया गया। कार्यालय के द्वारा 08 परिवहन ठेकेदारों में से किसी भी ठेकेदार से जमा जमानत धनराशि का प्रतिदिन 2 प्रतिशत की दर से धनराशि की जब्त नहीं की गयी। पूर्ति अधिकारी द्वारा परिवहन ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

अतः परिवहन ठेकेदारों के द्वारा खाद्यान का उठान न किया जाना एवं ठेकेदार से जमा जमानत धनराशि का प्रतिदिन 2 प्रतिशत की दर से धनराशि की जब्त नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01- निर्गत किए गए राशन कार्डों की धनराशि रु. 2,34,644/- की वसूली लंबित रहना।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा समय समय पर अपने अंतर्गत आने वाले ब्लॉक को राशन कार्ड निर्गत करती है। जिसकी धनराशि ब्लॉक द्वारा कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी को प्रदान की जाती है ।

अभिलेखो की जांच में पाया गया कि जुलाई 2016 से पूर्व निर्गत किए गए राशन कार्डो की अवशेष धनराशि जो लेखा परीक्षा तिथि तक वसूली हेतु लंबित थी इस प्रकार है:

क्रम सं.	**ब्लॉक का नाम**	**अवशेष धनराशि**
1	भटवाडी	40535
2	डुंडा	75609
3	चिनयालीसों	54107
4	पुरोला	8585
5	मोरी	54518
6	कार्या0 नगरपालिका उ0 चंद्रेश नेगी	1290
योग		**2,34,644**

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वसूली हेतु पत्राचार जारी है। अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर:02- जनपद में राशन कार्डों का डिजिटलाइजेशन न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी लाभार्थियों को आधार सीडिंग तथा डिजिटलाइज्ड करने हेतु बल दिया गया था जिसके सन्दर्भ में खाद्य आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी लाभार्थियो का आधार सीडिंग मार्च 2017 तक तथा इनका डिजिटलाइजेशन अप्रैल 2017 तक अनिवार्य रूप से किया जाये क्योंकि ऐसा न होने की दशा में राज्य के कोटे पर निर्गत सब्सिडाइज्ड राशन की मात्रा पर विपरीत असर पड़ सकता है। अतः राज्य हित में उक्त कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण किया जाना अति आवश्यक था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक पूर्ति विभाग, उत्तरकाशी के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद में अभी तक 1833 राशन कार्डों को आधार लिंक्ड नहीं किया गया और न ही इनको डिजिटलाइज्ड किया गया। उक्त राशन कार्डों बिना आधार लिंक किए खाद्य निर्गत जा रहा था।

लेखा परीक्षा में कारण पूछे जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया जारी है।

विभाग का उत्तर संतोषजनक नहीं क्योंकि आदेशानुसार यह कार्य वर्ष 2016-17 के अंत तक पूर्ण किया जाना था किन्तु विभाग द्वारा उक्त तिथि तक 16449 कार्डों का डिजिटलाइजेशन नहीं किया गया था जो कि लक्ष्य से लगभग 20 प्रतिशत कम था।

अतः जनपद में राशन कार्डों का डिजिटलाइजेशन न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
58/2005-06	शून्य	1,2	शून्य
139/2015-16	01	1,2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	---------------	अप्रस्तुत	----------------	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

3. अनुपालन आख्या।

4. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

5. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्री के॰ एस॰ कोहली	जिला पूर्ति अधिकारी	27/11/13 से 18/08/16
2	श्री इन्द्र देव नौटियाल	जिला पूर्ति अधिकारी	19/08/16 से 31/05/17
	श्री पी॰ एल॰ शाह	ए॰ डी॰ एम॰	31/05/17 से 13/07/17
3	श्री जी॰ एस॰ मटोला	जिला पूर्ति अधिकारी	13/07/17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.